राजस्थान सरकार

कार्यालय भू-प्रबन्ध आयुक्त राजस्थान, जयपुर ।

क्रमांकः फा/भूप्रआ/स.नु./भूकर/11/8/1/85/पार्ट III/3793 जयपुर, दिनांकः 27-12-2000

परिपत्र

जिला कलक्टरों से प्राप्त सूचनाओं के अनुसार पटवार जमाबन्दी पौसाला में पटवारियों ने अनेक खसरा नम्बरों को भिन्न नम्बर एवं बटा नम्बर के रूप में अंकित कर रखे हैं परन्तु नक्शे में उक्त नम्बरों की तरमीम नहीं की है । ऐसी तरमीमों की संख्या अब तक प्राप्त 28 जिला कलक्टरों की सूचना अनुसार 1654364 है ।

अन्य जिन प्रकरणों में पटवारी द्वारा नक्शों में जो तरमीम की गई है वे या तो आवंटन से भिन्न खसरा नम्बर में आवंटी के कब्जे के विपरीत स्थान पर तरमीम कर रखी है । यही नहीं इन तरमीमों का फिर उसी खसरा नम्बर में रकबे की भी कमी-बेशी की तरमीम की हुई है । जिसके परिणामस्वरूप नक्शा, जमाबन्दी एवं मौके पर परस्पर रूप से काफी भिन्नताएँ हैं । जिससे भू-प्रबन्ध संक्रियाओं के दौरान अभिलेख तैयार करने में अनेक कठिनाईयां उत्पन्न होती है और अभिलेख तैयार करने में अनेकों वर्षों का समय लग जाता है ।

इसके अतिरिक्त राज्य में अनेक ग्राम ऐसे हैं जिनके नक्शे ही उपलब्ध नहीं है जिससे अभिलेख तैयारी के समय वाकिफ-हाल मिलान किया जाना असम्भव हो जाता है । जिससे मौके के अनुरूप अभिलेख तैयार करने के लिए भू-प्रबन्ध विभाग को बाध्य होना पड़ता है । परिणामस्वरूप जमाबन्दी में अंकित रकबे व सर्वेक्षण द्वारा तैयार नक्शे के रकबे में भिन्नता उत्पन्न हो जाती है ।

अतः ऐसी परिस्थितियों में खसरा नम्बरान को नक्शे में दर्शाने के लिए सहायक भू-प्रबन्ध अधिकारी, अपने निरीक्षक, भूमापक तथा राजस्व विभाग के हल्का गिरदावर व पटवारी, सम्बन्धित कृषक, वार्डपंच एवं सरपंच तथा ग्राम के दो ऐसे मोतबिरान जिनको ग्राम के निवासियों की भूमियों की विस्तृत जानकारी हो, के साथ मौके पर जाकर यह सुनिश्चित करेंगे कि कौनसा खेत किस काश्तकार का है । तत्पश्चात खसरा नम्बरवार विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर मौके पर उपस्थित ऐसे व्यक्तियों के हस्ताक्षर लेते हुए सहायक भू-प्रबन्ध अधिकारी द्वारा अन्तिम निर्णय लिया जायेगा । तदनुसार नक्शा एवं अभिलेख तैयार करायेगा ।

(हस्ताक्षर)
भू-प्रबन्ध आयुक्त,
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक/समसंख्यक 3794-3875 दिनांकः 27-12-2000

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं पालनार्थ :-

(1.) समस्त जिला कलक्टरों को प्रेषित कर अनुरोध है कि आप उक्त तरमीम कार्य में सहयोग हेतु सम्बन्धित हल्का गिरदावर/पटवारी को लगाने के लिये सम्बन्धित तहसील के तहसीलदार को पाबन्द करावें ।

(2.) समस्त भू-प्रबन्ध अधिकारियों को प्रेषित कर लेख है कि उक्त तरमीम कार्य को पूर्ण कराने हेतु सम्बन्धित तहसील में कार्यरत सहायक भू-प्रबन्ध अधिकारियों को उक्त परिपत्र के अनुसार कार्य करने हेतु पाबन्द करावें ।

3. समस्त सम्बन्धित सहायक भू-प्रबन्ध अधिकारी ।

(हस्ताक्षर)
भू-प्रबन्ध आयुक्त,
राजस्थान, जयपुर